[भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशनार्थ]

भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना सं. 8/2017- संघ राज्यक्षेत्र कर (□□)

नई दिल्ली, तारीख 28 जून, 2017

सा.का.नि. .... **(अ)**--केन्द्रीय सरकार, संघ राज्यक्षेत्र माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 14) की धारा 8 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने पर कि लोक हित में ऐसा करना आवश्यक है, परिषद् की सिफारिशों पर रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति को, ऐसे पूर्तिकार द्वारा, जो रजिस्ट्रीकृत नहीं है, माल या सेवाओं या दोनों की, राज्य के भीतर पूर्ति को उक्त संघ राज्यक्षेत्र माल और सेवा कर अधिनियम की धारा 7 की उपधारा (4) के अधीन उस पर उद्ग्रहणीय संघ राज्यक्षेत्र कर से छूट प्रदान करती है :

परंतु उक्त छूट वहां लागू नहीं होगी, जहां रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति को माल या सेवाओं या दोनों की पूर्ति का समग्र मूल्य, ऐसे किसी या सभी पूर्तिकारों से, जो रजिस्ट्रीकृत नहीं है या नहीं हैं, एक दिन में पांच हजार रुपए से अधिक है ।

2. यह अधिसूचना 1 जुलाई, 2017 से प्रवृत्त होगी ।

[फा.सं.354/117/2017-टीआरयू]

(मोहित तिवारी)

अवर सचिव, भारत सरकार